...6.19 उभय पक्ष उप। [illegible]
रेशम सिंह का शपथ पत्र पेश किया
[illegible] पेश नहीं [illegible]
पत्रावली [illegible] रेशमसिंह
5.7.19 को पेश हो।

5/7/19 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावली दिनांक 27.9.19 पेश हो। को वास्ते बहस अंतिम

28-8-19 वकील उभयपक्ष उपस्थित होकर पत्रावली को पेशी में लिये जाने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। प्रतिवादी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन बाद वादी विचारणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया गया। खुले न्यायालय में सुनाया जाकर निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। नियमानुसार स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

30-8-19 वकील वादी द्वारा निर्णय दिनांक 28-8-19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किये शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई।

(राजस्व वाद संख्या

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन

पीठासीन अधिकारी – कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 036 / 2019

1 रेशम सिह पुत्र श्री बलवत सिह जाति जट
व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—:: बनाम

1 बलवत सिह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह जाति
तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2 अजायब सिह पुत्र श्री बलवत सिह जा
तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3 जगदीश सिह पुत्र श्री बलवंत सिह ज
तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4 हरदम सिह पुत्र श्री बलवंत सिह ज
तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान
5 अमरजीत कौर पुत्री बलवंत सिह पत्
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ रा
6 कर्मजीत कौर पुत्री बलवंत सिह पत्नी
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ रा
7 जगजीत सिह पुत्र श्री बख्शीश सिह
व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनु
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आ

—:: उपस्थित

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता प्रति
3. राज पैराकार प्रति

—:: नि

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध
इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप मे
संख्या 1 के नाम वाके चक 47 एन.जी
1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख
रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 4
2071 से 2074 हमराह पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1
भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है
अर्थ राईट हासिल है तथा अर्जीदावा व
ने काफी अर्सा पूर्व घरू बंटवारा क
संख्या 5 व 6 ने घरू बंटवारा मे प्राप
प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष मे व
के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादीग
बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू

सत्यमेव जयते
Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 036/2019

1 रेशम सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 बलवंत सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2 अजायब सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

3 जगदीश सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4 हरदम सिंह पुत्र श्री बलवंत सिंह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

5 अमरजीत कौर पुत्री बलवंत सिंह पत्नी साधु सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

6 कर्मजीत कौर पुत्री बलवंत सिंह पत्नी हरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

7 जगजीत सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 8 जी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

8 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता — वादी
2. श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता — प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8
3. राज पैराकार — प्रतिवादी संख्या 9

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28.08.2019

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 मे 0.506 हैक्टर भूमि मे 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 91/85 मे 3.163 हैक्टर नाली प्रथम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबंदी वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 91/85 व 93/87 सम्वत 2071 से 2074 हमराह पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 एक हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है वर्णित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को बर्थ राईट हासिल है तथा अर्जीदावा की दफा 2 मे वर्णित भूमि का मुझ वादी व प्रतिवादीगण ने काफी अर्सा पूर्व घरू बंटवारा कर लिया है तथा घरू बंटवारा के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष मे कर दिया। प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 के हक त्याग करने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा कर लिया है मुताबिक घरू बंटवारा निम्न प्रकार से है :–

लगातार 2

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डअधिकारी

Scanned by CamScanner

(क) वादी रेशम सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 14, 17, 23 तादादी 0.759 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 अजायब सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 15, 16, 24 तादादी 0.759 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नंम्बर 27 किला नम्बर 13, 18, 22 तादादी 0.759 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 4 हरदम सिंह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 12, 19, 21 तादादी 0.759 हैक्टर।

इसी प्रकार वाके चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20/2 मे 0.127 हैक्टर व खाता संख्या 93/87 पत्थर नम्बर 134/261 किला नम्बर 10 मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर।

मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने काश्त की सुविधा अनुसार घरू बंटवारा मुताबिक काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड मे भूमि अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाके चक 47 एन. जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.332 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 मे से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

भूमि अभी तक संयुक्त खाता मे होने के कारण मुझ वादी का सह–काश्तकारान से सींव बट आदि का विवाद रहता है। इसलिए वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त के खाता तकसीम करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादीगण को वादी के हिस्सा की घोषणा व घरू बंटवारा अनुसार खाता तकसीम करवाने हेतु कहा पहले तो वे टाल मटोल करते रहे परन्तु 10 रोज पूर्व मुकाम चक ज्वालासिहवाला मे साफ इन्कार हो गये। यही विनाय मुखासमत है।

प्रतिवादी संख्या 8 के यहां भूमि रहन होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 9 को लैण्ड होल्डर होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

वाद वादी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है जो उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। लिहाजा वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर फरमाय जावे :–

(क) घोषणा फरमाई जावे कि वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.332 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है, तथा वाके चक 47 एन. जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे।

(ख) वाद की मद संख्या 4 मे वर्णित घरू बंटवारा मुताबिक खाता तकसीम कर राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने का आदेश फरमाया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ) अन्य कोई दादरसी करीने इन्साफ मुफीद मुदई हो तो अता फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 10.04.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिवक्तागणों

लगातार 3

सहायक कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

अधिवक्तागणों द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि प्रकरण मे हम पक्षकारान के मध्य पंचायत के मौजिज व्यक्तियों ने राजीनामा करवा दिया है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 मे 0.506 हैक्टर भूमि मे 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 91/85 मे 3.163 हैक्टर नाली प्रथम संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है जिसमे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को बर्थ राईट हासिल है तथा इस भूमि का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 ने काफी अर्सा पूर्व घरू बंटवारा कर लिया है तथा घरू बंटवारा के पश्चात् प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 ने घरू बंटवारा मे प्राप्त अपने हक हिस्सा की भूमि का हक त्याग वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पक्ष मे कर दिया। प्रतिवादीया संख्या 5 व 6 के हक त्याग करने के पश्चात् वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने काश्त की सुविधा अनुसार निम्नानुसार घरू बंटवारा किया हुआ है :-

(क) वादी रेशम सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 14, 17, 23 तादादी 0.759 हैक्टर।

(ख) प्रतिवादी संख्या 2 अजायब सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 15, 16, 24 तादादी 0.759 हैक्टर।

(ग) प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नंम्बर 27 किला नम्बर 13, 18, 22 तादादी 0.759 हैक्टर।

(घ) प्रतिवादी संख्या 4 हरदम सिंह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 12, 19, 21 तादादी 0.759 हैक्टर।

इसी प्रकार वाके चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20/2 मे 0.127 हैक्टर व खाता संख्या 93/87 पत्थर नम्बर 134/261 किला नम्बर 10 जुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर।

(ङ) प्रतिवादी संख्या 7 जगजीत सिह चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नंम्बर 27 किला नम्बर 1/253, 10/.115 हैक्टर तादादी 0.368 हैक्टर।

मुताबिक राजीनामा वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कुल 3.332 हैक्टर भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वाके चक 47 एन.जी.सी. खाता संख्या 93/87 व 91/85 में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा उपरोक्त वर्णितानुसार खाता विभाजन किया जावे तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई आपति एतराज नही है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे तो हम पक्षकारान सहमत है।

राज पैरोकार द्वारा स्टेट की और से जबाब प्रस्तुत किया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई एतराज नहीं है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 38–39–40–53, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489

लगातार 4

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner

की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों मे जोत के विभाजन की राहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति मे जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धडी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम चक 5 47 एन.जी.सी. के खाता संख्या 91/85 व 93/87 की भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जद्दी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 47 एन.जी.सी. की भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी रेशम सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	14, 17, 23	0.759 हैक्टर

लगातार 5

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी संख्या 2 अजायबसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	15, 16, 24	0.759 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 3 जगदीशसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	13, 18, 22	0.759 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 4 हरदमसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	12, 19, 21	0.759 हैक्टर

5. प्रतिवादी संख्या 7 जगजीत सिह पुत्र श्री बख्शीश सिह जाति कम्बोज सिख निवासी 8 जी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	93/87	134/261 (27)	1/.253, 10/.115,	0.368 हैक्टर

नोट :– मुताबिक राजीनामा चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20/2 मे 0.127 हैक्टर व खाता संख्या 93/87 पत्थर नम्बर 134/261 किला नम्बर 10 मुझ वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 036/2019

1 रेशम सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 बलवत सिह पुत्र श्री लक्ष्मण सिह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
2 अजायब सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
3 जगदीश सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
4 हरदम सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख साकिन चक जवालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।
5 अमरजीत कौर पुत्री बलवंत सिह पत्नी साधु सिह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
6 कर्मजीत कौर पुत्री बलवंत सिह पत्नी हरजीत सिह जाति जटसिख निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान।
7 जगजीत सिह पुत्र श्री बख्शीश सिह जाति कम्बोज सिख निवासी 8 जी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
8 राज. मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक।
9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 28.08.2019

वादी की ओर से श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से श्री अमरिकसिंह अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से राजपैराकार इस वाद में आज दिनांक 30.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चक 47 एन.जी.सी. की भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

1. वादी रेशम सिह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	14, 17, 23	0.759 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 2 अजायबसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

लगातार 2

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	15, 16, 24	0.759 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 3 जगदीशसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	13, 18, 22	0.759 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 4 हरदमसिंह पुत्र श्री बलवंत सिह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	91/85	134/261 (27)	12, 19, 21	0.759 हैक्टर

5. प्रतिवादी संख्या 7 जगजीत सिह पुत्र श्री बख्शीश सिह जाति कम्बोज सिख निवासी 8 जी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
47 एन.जी.सी.	93/87	134/261 (27)	1/.253, 10/.115,	0.368 हैक्टर

नोट :– मुताबिक राजीनामा चक 47 एन.जी.सी. पत्थर नम्बर 134/261 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 20/2 मे 0.127 हैक्टर व खाता संख्या 93/87 पत्थर नम्बर 134/261 किला नम्बर 10 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 के नाम बहिस्सा बराबर।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 30.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर

सहायक कलेक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	
पत्रावली के लिये स्टाम्प			

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 17:35:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: